



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28946

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रथम अपील संख्या - 94 वर्ष 2026

के.पी. पंकज (केशव प्रसाद पंकज) सरकारी ठेकेदार और आपूर्तिकर्ताअपीलकर्ता

बनाम

अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण और 5 अन्यप्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार पाठक

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : उग्रसेन कुमार पांडेय

न्यायालय संख्या - 38

माननीय संदीप जैन, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं।
 2. यह पहली अपील (सीपीसी की धारा 96 के तहत) मूल वाद संख्या 244/2018 (के.पी. पंकज उर्फ केशव प्रसाद पंकज बनाम चेयरमैन, जिला शहरी विकास प्राधिकरण, कुशीनगर व अन्य) में वादी-अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। यह अपील अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर 3, गोरखपुर द्वारा 02.04.2025 को पारित उस फैसले और डिक्री के खिलाफ है, जिसके तहत सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद-पत्र को खारिज कर दिया गया था। खारिज करने का आधार यह था कि टेंडर की शर्तों के अनुसार, विवादों का निपटारा कुशीनगर की सक्षम अदालत द्वारा किया जाना था, जबकि वादी ने गोरखपुर की अदालत में वाद दायर किया था, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था।
 3. मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों द्वारा सड़क निर्माण के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु 09.12.2013 और 10.12.2013 को गोरखपुर के स्थानीय समाचार पत्रों में एक टेंडर प्रकाशित किया गया था। वादी फर्म ने उक्त टेंडर के तहत आवेदन किया जिसे स्वीकार कर लिया गया, और परिणामस्वरूप, वादी को समय-समय पर 13 कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) दिए गए। 30.06.2014
- अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को, प्रतिवादियों ने वादी को 22.31 लाख रुपये मूल्य की कुछ निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए एक कार्य आदेश दिया।

4. उक्त कार्य आदेश के अनुपालन में, वादी फर्म ने कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार ही प्रतिवादियों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति की।

5. वादी का मुख्य तर्क यह है कि उक्त कार्य आदेश के संबंध में वादी और प्रतिवादियों के बीच विधिवत कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया था, और वादी फर्म ने समय-समय पर कार्य आदेश से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करते हुए निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी।

6. आगे यह भी कहा गया कि एक 85.94 लाख रुपये का भुगतान प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा वादी फर्म को किया जाना था, लेकिन केवल 18,54,155 रुपये का भुगतान किया गया। इसलिए, विवाद तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी वादी फर्म द्वारा समय-समय पर मिले वर्क ऑर्डर के तहत सप्लाई किए गए निर्माण सामग्री के लिए 67,39,845 रुपये का भुगतान करने में विफल रहे। वादी फर्म ने दावा किया कि वह उक्त बकाया राशि पर 18% की दर से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पाने की भी हकदार थी। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से काम करते हुए श्री पी.के. गुप्ता ने 25% कमीशन की मांग की, और चूंकि उक्त कमीशन का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए वादी फर्म को देय उक्त राशि गलत तरीके से रोक ली गई।

7. आखिरकार, जब प्रतिवादियों द्वारा वादी की देय राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो वादियों ने यह मुकदमा दायर किया ताकि यह घोषित किया जा सके कि वे प्रतिवादियों से 67,39,845 रुपये की राशि और उस पर 18% तिमाही ब्याज पाने के हकदार हैं।

8. मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी नंबर 4 से 6 द्वारा सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत आवेदन नंबर 19-ए दायर किया गया। इस आवेदन का आधार यह था कि वादी ने 67,39,845 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, साथ ही 18% प्रति माह की दर से ब्याज की भी मांग की है। यह कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1, 3 और 4 कुशीनगर जिले में आधिकारिक पद पर काम कर रहे हैं, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 लखनऊ में कार्यरत सरकारी अधिकारी है और प्रतिवादी नंबर 5 और 6 कुशीनगर जिले के निवासी हैं। यह कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 3 ने कुशीनगर जिले के कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय से वादी को वर्क ऑर्डर दिए थे। साथ ही, निर्माण सामग्री की सप्लाई भी कुशीनगर जिले की नगर पंचायत, हाटा में की

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जानी थी और वादी द्वारा सप्लाई की गई इस सामग्री के भुगतान के लिए चेक भी प्रतिवादी नंबर 3 के उसी कार्यालय से जारी किया गया था। इसलिए, गोरखपुर जिले में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बना। यह तर्क दिया गया कि इस वजह से इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत वाद को खारिज कर दिया जाए।

9. वादी ने प्रतिवादियों की अर्जी के जवाब में अपनी आपत्ति 21-सी दाखिल की और कहा कि वादी फर्म गोरखपुर में स्थित है और निर्माण सामग्री की सप्लाई भी गोरखपुर से ही की गई थी, और भुगतान भी गोरखपुर में ही वादी फर्म को किया गया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 4 से 6 ने स्वीकार भी किया था; इसलिए, गोरखपुर कोर्ट को इस मामले की सुनवाई करने और फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र है। यह भी कहा गया कि प्रतिवादियों द्वारा किया गया भुगतान गोरखपुर में वादी के बैंक को प्राप्त हुआ था। यह तर्क दिया गया कि चूंकि मुकदमा दायर करने का कारण गोरखपुर जिला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, इसलिए यह मुकदमा कानूनी रूप से चलाने योग्य था।

10. ट्रायल कोर्ट ने 02.04.2025 के आदेश में यह निष्कर्ष निकाला कि निर्माण सामग्री की सप्लाई के लिए टेंडर 09.12.2013 और 10.12.2013 को गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में जारी किया गया था; निर्माण सामग्री की सप्लाई के लिए वर्क ऑर्डर 30.06.2014 को कुशीनगर जिले से प्रतिवादियों द्वारा जारी किया गया था; 22.31 लाख रुपये का भुगतान भी 04.03.2014 को चेयरमैन/जिला मजिस्ट्रेट (डीयूडीए), कुशीनगर द्वारा मंजूर किया गया था; वादी फर्म ने 20.06.2014 के वर्क ऑर्डर (जो प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी किया गया था) के अनुपालन में सामग्री की सप्लाई की थी; इसके अलावा, प्रोजेक्ट ऑफिसर (डीयूडीए), कुशीनगर द्वारा वादी फर्म को वर्क ऑर्डर संख्या 32, 33 और 35 जारी किए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि समय-समय पर प्रतिवादियों को निर्माण सामग्री की सप्लाई के लिए वादी फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे।

11. ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि टेंडर की शर्तों के अनुसार (जिसे वादी ने कुशीनगर जिले में स्वीकार किया था), एक शर्त यह थी कि यदि टेंडर की शर्तों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र कुशीनगर की कोर्ट के पास होगा। ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्क ऑर्डर वादी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अथॉरिटी, कुशीनगर द्वारा जारी किया गया था और पेमेंट भी उसी अथॉरिटी द्वारा किया जाना था। टेंडर की शर्तों के अनुसार, विवाद केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुशीनगर में ही उठाया जा सकता था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने माना कि सीपीसी की धारा 20 के तहत, गोरखपुर स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था। नतीजतन, डिफेंडेंट्स की ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई और परिणामस्वरूप, वाद-पत्र खारिज कर दिया गया।

12. वादी-अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि टेंडर गोरखपुर के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, वादी फर्म भी गोरखपुर में स्थित है, वादी ने गोरखपुर से ही अपनी बोली जमा की थी, निर्माण सामग्री की आपूर्ति वादी द्वारा गोरखपुर से की गई थी और वादी द्वारा आपूर्ति की गई निर्माण सामग्री के लिए डिफेंडेंट्स द्वारा आंशिक भुगतान भी गोरखपुर में वादी के बैंक खाते में किया गया था। इसलिए, गोरखपुर स्थित अदालत के पास मुकदमे की सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था और इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने वाद-पत्र को खारिज करने में गलती की है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि वाद-पत्र को खारिज करने के बजाय, इसे ऑर्डर 7 रूल 10 सीपीसी के तहत सक्षम अदालत में पेश करने के लिए वापस किया जाना चाहिए था, क्योंकि अदालत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर वाद-पत्र को खारिज नहीं कर सकती है। इन तर्कों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाए और उसे मंजूर किया जाए।

13. इसके उलट, प्रतिवादी-उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने कहा कि गोरखपुर ज़िला अदालत के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कोई कारण कभी नहीं बना, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत शिकायत को खारिज करने में कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया है।

14. यह कहा गया कि प्रतिवादियों द्वारा कुशीनगर ज़िले में वादी फर्म को टेंडर दिया गया था। वर्क ऑर्डर कुशीनगर ज़िले से जारी किया गया था, और वर्क ऑर्डर के तहत निर्माण सामग्री भी वादी फर्म द्वारा कुशीनगर ज़िले में ही सप्लाई की गई थी और भुगतान भी प्रतिवादियों द्वारा कुशीनगर ज़िले से ही किया गया था, इसलिए विवाद केवल कुशीनगर ज़िला अदालत में ही सुना जा सकता था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. इन दलीलों के साथ, यह अनुरोध किया गया कि अपील में कोई दम नहीं है और इसे शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया जाए।

16. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है, और विवादित फैसले तथा अपील के साथ जमा किए गए दस्तावेजों को देखा है।

17. अपील स्वीकार की जाती है।

18. अपील के साथ जमा किए गए दस्तावेजों से यह साफ है कि टेंडर प्रतिवादी नंबर 3, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीयूडीए), कुशीनगर ज़िला द्वारा जारी किया गया था, और वादी फर्म ने टेंडर के लिए बोली लगाई थी जिसे कुशीनगर ज़िले में स्वीकार किया गया था और उसके बाद, समय-समय पर प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा वादी फर्म को कुछ वर्क ऑर्डर दिए गए थे, जिनके पालन में कुशीनगर ज़िले में निर्माण सामग्री सप्लाई की गई थी और जब प्रतिवादियों द्वारा कुछ भुगतान नहीं किया गया, तो वादी ने बकाया राशि की वसूली के लिए यह मुकदमा दायर किया। यह भी साफ है कि प्रतिवादी नंबर 2 को छोड़कर, बाकी सभी प्रतिवादी कुशीनगर ज़िले के निवासी हैं।

19. यह साफ है कि टेंडर की शर्तों के अनुसार, विवाद पर केवल कुशीनगर ज़िला अदालत ही सुनवाई कर सकती थी, इसलिए गोरखपुर ज़िला अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। न तो प्रतिवादी नंबर 3 का ऑफिस गोरखपुर ज़िले में था, और न ही गोरखपुर ज़िला अदालत के अधिकार क्षेत्र में कोई कानूनी मामला बना, इसलिए, ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष सही था कि गोरखपुर ज़िला अदालत को इस मामले की सुनवाई करने और फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 10 के तहत वादी को उसकी अर्जी वापस न करके गलती की, ताकि वह उसे सही अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में पेश कर सके। ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत अर्जी को खारिज करके निश्चित रूप से गलती की, क्योंकि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह नियम लागू ही नहीं होता था।

20. सुप्रीम कोर्ट ने 'एक्सएल करियर और अन्य बनाम फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' (2020) 12 एससीसी 667 (3 जजों की बेंच) मामले में, अधिकार क्षेत्र न होने की स्थिति में अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करते हुए, यह कहा:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"15. मॉडर्न कंस्ट्रक्शन [ओएनजीसी बनाम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, (2014) 1 एससीसी 648: (2014) 1 एससीसी (सिविल) 617] मामले में, रामदत्त रामकिशन दास बनाम ई.डी. ससून एंड कंपनी [रामदत्त रामकिशन दास बनाम ई.डी. ससून एंड कंपनी, 1929 एससीसी ऑनलाइन पीसी 3 : (1928-29) 56 आईए 128 : एआईआर 1929 पीसी 103], अमर चंद इनानी बनाम भारत संघ [अमर चंद इनानी बनाम भारत संघ, (1973) 1 एससीसी 115], हनुमंतप्पा बनाम चंद्रशेखरप्पा [हनुमंतप्पा बनाम चंद्रशेखरप्पा, (1997) 9 एससीसी 688], हर्षद चिमनलाल मोदी (2) [हर्षद चिमनलाल मोदी (2) बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड, (2006) 1 एससीसी 364] और जोगिंदर तुली [जोगिंदर तुली बनाम एस.एल. भाटिया, (1997) 1 एससीसी 502] मामलों का हवाला देते हुए कानून की स्थापित स्थिति पर विचार किया गया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचा गया: (मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मामला [ओएनजीसी बनाम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, (2014) 1 एससीसी 648 : (2014) 1 एससीसी (सिविल) 617], एससीसी पेज 654, पैरा 17)

"17. इस प्रकार, उपरोक्त को देखते हुए, इस मुद्दे पर कानून का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है कि यदि जिस अदालत में मुकदमा दायर किया गया है, वह यह मानती है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 10 के प्रावधानों के तहत वाद-पत्र वापस कर दिया जाना चाहिए और वादी इसे सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के समक्ष पेश कर सकता है।" ऐसे तथ्यों के मामले में, लिमिटेशन एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के तहत, वादी उस समय-अवधि को हटाने का हकदार है जिसके दौरान उसने उस अदालत में मुकदमा चलाया जिसके पास अधिकार-क्षेत्र नहीं था; साथ ही, वह उस अदालत में जमा की गई कोर्ट फीस के समायोजन की मांग भी कर सकता है। हालाँकि, सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाली अदालत में पेश किए जाने के बाद, वाद-पत्र को एक नए वाद-पत्र के रूप में माना जाएगा और मुकदमे की सुनवाई नए सिरे से की जाएगी, भले ही उस अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी हो जिसके पास मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं था।

हर्षद चिमनलाल मोदी मामले में जोगिंदर तुली मामले का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन उसे इसके अपने तथ्यों के आधार पर अलग माना गया।

16. 'मॉडर्न कंस्ट्रक्शन' मामले में तय किए गए कानून में हमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता। यह फैसला 'जोगिंदर तुली' मामले से किसी भी टकराव की स्थिति में कानून और पहले के फैसलों पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दोबारा विचार करने के बाद सुनाया गया था। 'मॉडर्न कंस्ट्रक्शन' मामले में सही कानून बताया गया है। हम इसी आधार पर रेफरेंस का जवाब देते हैं।

21. यह बात अच्छी तरह से तय है कि अगर कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने और फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत शिकायत (प्लेंट) को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, इसे वादी को वापस किया जाना चाहिए ताकि वह इसे सही अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में पेश कर सके।

22. यह भी स्पष्ट है कि सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 10(1) के स्पष्टीकरण के तहत, अपील या रिवीजन सुनने वाला कोर्ट मुकदमे में पारित डिक्री को रद्द करने के बाद, शिकायत को सही अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में पेश करने के लिए वापस करने का निर्देश भी दे सकता है।

23. इसे देखते हुए, ट्रायल कोर्ट को शिकायत खारिज करने के बजाय, सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत इसे वादी को वापस कर देना चाहिए था ताकि वह इसे सही अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में पेश कर सके।

24. इसलिए, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

25. नतीजतन, 02.04.2025 के विवादित फैसले और डिक्री को उस हद तक बरकरार रखा जाता है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि उसके पास मुकदमे की सुनवाई और फैसला करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन शिकायत को खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। ओरिजिनल मुकदमा नंबर 244/2018 को उसके मूल नंबर पर बहाल किया जाता है और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 10 के प्रावधानों के अनुसार मूल शिकायत वादी को वापस करे, ताकि वह इसे सही अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में पेश कर सके।

(संदीप जैन, न्यायमूर्ति)

फरवरी 10, 2026

मयंक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।